

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §

बुधवार, 4 अक्टूबर, 1995 / आश्विन 12, 1917 §शक§

संख्या. 217.

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, मध्य ज़िला, नई दिल्ली से दिनांक 30 सितम्बर, 1995 का निम्नलिखित, वेतार सन्देश 4 अक्टूबर, 1995 को प्राप्त हुआ :-

" श्री शोएब इकवाल, विधायक, दिल्ली को उनके अन्य समर्थकों सहित दिनांक: 30.9.95 को अपराह्न 11.40 बजे पुलिस अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहने के लिये नज़रबंद किया गया था ।

श्री शोएब इकवाल एवं उनके समर्थकों को उसी दिन अर्थात् 30.9.95 को अपराह्न 12.00 बजे रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative, & Other matters)
Wednesday, October 4, 1995/Ashvina 12, 1917 (Saka)

No. 217

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following wireless message dated 30.9.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, from the Addl. Dy. Commissioner of Police, Central District, Delhi was received on 4th October, 1995 :-

"Shri Shoaib Iqbal, M.L.A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 at 1140 hours on 30.9.95 for failure to comply with the directions given to him by a Police Officer.

Shri Iqbal was released at 1200 hours, the same day i.e. 30.9.95."

P.N. GUPTA
SECRETARY